यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- उत्तरकाशी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- उत्तरकाशी के माह 12/2017 से 10/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री एस.के. सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी; श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री एस.के. जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 28.11.2018 से 10.12.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री गौरव पंत, श्री अनिल कुमार, व. लेखापरीक्षक एवं श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29.11.2017 से 12.12.2017 तक श्री ए. सी. कटियार, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2016 से 11/2017 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः विभाग का सृजन ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के नाम से सन 1972 में हुआ। उत्तर प्रदेश से विभाजित उत्तराखण्ड राज्य में ग्राम्य विकास विभाग के विभिन्न विकास कार्यों के निर्माण कार्य का दायित्व विभाग को सौपा गया है। विभागीय पुनर्गठन के पश्चात ग्रामीण निर्माण विभाग के नाम से विभाग वर्तमान में विभिन्न विभागों के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण, नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण, पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुन:निर्माण एवं विभिन्न खेल मैदानों का निर्माण आदि कार्य जो सुदूर आँचलों में स्थित है, का निष्पादन करवाया जाता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर- स्थापना				
	आवंटन धनराशि	व्यय धनराशि	बचत	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय	अवशेष
2015-16	227.56	150.79	76.77	933.76	1032.28	1966.04	1184.16	781.88
2016-17	178.90	160.79	18.11	781.88	945.51	1727.40	1560.56	166.83
2017-18	177.91	172.63	5.28	166.83	1431.68	1598.51	1239.16	359.35
2018-19 (till 10.2018)	209.96	129.07	80.89	359.35	360.00	719.35	481.83	237.52

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष			---	---	---	---	---
प्रारम्भिक अवशेष		---	---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
कुल प्राप्तियाँ			---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान कुल व्यय			---	---	---	---	---
अंतिम अवशेष			---	---	---	---	---

iii). विभिन्न विभागों से निक्षेप के रूप में प्राप्त धनराशि एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

<u>तकनीकी संवर्ग 1).</u> मुख्य अभियंता (स्तर – 1), 2).मुख्य अभियंता (स्तर- 2), 3). अधीक्षण अभियंता (परिमण्डलवार), 4). अधिशासी अभियंता (प्रखण्डवार), 5). सहायक अभियन्ता, 6).कनिष्ठ अभियन्ता, 7).मानचित्रकार

<u>गैर-तकनीकी संवर्ग:</u> 1). वित्त नियंत्रक, 2). खंडीय लेखाकार / खंडीय लेखाधिकारी, 3). प्रशासनिक अधिकारी, 4). वैयक्तिक सहायक, 5). प्रधान सहायक, 6). वरिष्ठ सहायक, 7). कनिष्ठ सहायक, 8). अनुसेवक

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 12/2017 से 10/2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-उत्तरकाशी के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयीI यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया I प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

vi). खण्ड के भण्डार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह ..... स्टॉक शून्य है ..... तथा ..... तक की गई।

vii). फार्म 51: माह …… तक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वीतीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु में)

भाग प्रथम रु ……..

भाग द्वीतीय रु ……

viii). खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष माह 09/2018 के अन्त में (धनराशि रु में)

क). प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम रु …….

ख). सामग्री क्रय रु ……

ग). नकद परिशोधन रु …….

घ). निक्षेप रु …….

ड़). भण्डार रु …..

भाग- 2ब

प्रस्तर-01: Delegation of Power द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा (रु 40.00 लाख) का उल्लंघन कर ठेकेदार/फर्मों को (रु 1.91 करोड़) अदेय लाभ पहुँचाना।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्यों के अन्तर्गत प्रथम प्रकरण में, शासनादेश संख्या: 45/XII-2/2015/02(04)/2015 दिनाँक 17 मार्च 2015 द्वारा उत्तरकाशी लम्बगाँव मोटर मार्ग किमी. 37 दिखोली से चौंदीयाट गाँव होते हुये तामेस्श्वर मन्दिर तक मोटर मार्ग (ल.-2.325 किमी.) के निर्माण हेतु प्राक्कलन लागत रु225.93 लाख के सापेक्ष रु194.22 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें से स्टेज-I के कार्य हेतु रु129.66 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त थी। दूसरे प्रकरण में, विकासखंड चिन्यालीसौड़ मे धरासूबैन्ड-ब्रह्मखाल के किमी. 05 में फेदी से कौड़ा तक ग्रामीण मोटर के निर्माण हेतु स्टेज-I के कार्य हेतु रु348.24 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

No authority can enter into agreement(s) into which he is not empowered under prescribed "Delegation of Financial Powers" by the State Government and the financial rules infringed under Para-368 and 369 of the FHB (Vol-6).

The Rule-369 provides that 'No individual contractor may receive second contract in connection with the same work or estimate while the first is still in force, if the total sum of his contracts exceeds the powers of acceptance of the authority concerned'.

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि खण्ड द्वारा प्रथम कार्य हेतु गठित 02 अनुबन्धों में उपरोक्त वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों का अनुपालन नहीं किया गया। Delegation of Power द्वारा अधिशासी अभियंता हेतु निर्धारित सीमा (रु40.00 लाख) और FHB Vol- VI के प्रस्तर -369 के प्रावधानों के विरूद्ध एक ठेकेदार (श्री बलवीर सिंह चौहान) के साथ 02 पृथक-पृथक अनुबंध धनराशि रु75.41 लाख एवं दूसरे कार्य में एक फर्म/ठेकेदार (M/s. APS Constructions) के साथ 05 पृथक-पृथक अनुबंध धनराशि रु115.33 लाख अर्थात कुल धनराशि रु190.73 लाख के अधिशासी अभियंता स्तर पर गठित किये गये। जिसका विवरण निम्नवत है:-

	Agreements No.	***Cost of Agreement (Amount in Rs.)***
Sh. Balveer Singh Chauhan	18/EE/2015-16	3984730.00
	27/EE/2015-16	3555795.00
	Total	**7540525.00**
M/s. APS Constructions	15/EE/2015-16	1316113.00
	24/EE/2015-16	2918619.00
	36/EE/2016-17	2815230.00
	38/EE/2016-17	2185125.00
	39/EE/2016-17	2297865.00
	Total	**11532952.00**
	G. Total	**19073477.00**

इस सम्बन्ध मे यह भी प्रावधान है कि FHB(Vol-6) के प्रस्तर-368 & 369 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक के कार्य हेतु विशेष परिस्थितियों में केवल राज्य सरकार अनुमति दे सकती है।

इस सम्बन्ध में इकाई ने अपने उत्तर में बताया कार्य को छोटे-छोटे जॉब बनाकर निविदा की गई और एक ही ठेकेदार के नाम खुलने पर एक ही ठेकेदार के साथ अनुबन्ध बनाये गये और वित्तीय सीमा के अन्तर्गत भुगतान किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्य की स्वीकृति एक कार्य की थी और इकाई द्वारा इस कार्य को कई जॉब में बांटा गया और ठेकेदार द्वारा कार्य गतिमान रहते हुये पुनः उसी ठेकेदार को कार्य आवंटित किये गये, जो कि निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक के अनुबन्ध एक ही ठेकेदार से किये गये। इसके अतिरिक्त उक्त वित्तीय नियम में स्पष्ट प्रावधान है कि विशेष परिस्थितियों में केवल राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक के कार्य कराये जा सकते हैं। जिस हेतु विभाग ने राज्य सरकार से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी।

अतः कार्यदायी संस्था द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के नियम-368 व 369 का उल्लंघन कर ठेकेदारों/फर्मों को रु1.91 करोड़ का अदेय लाभ पहुंचाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जा

<u>भाग- 2(ब)</u>

<u>प्रस्तर</u>:2- धनराशि रु 10.49 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखा जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- 6 के नियम- 622 के अनुसार तीन वर्षों तक रोकी गई धनराशि का दावा न किये जाने पर अदावाकृत धनराशि को व्यपगत धनराशि के रूप में राजस्व खाते जमा कर दिया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- उत्तरकाशी की निक्षेप पंजिका भाग ii & v के निरीक्षण में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा **संलग्नक** के अनुसार, वर्ष 1998 से वर्ष 2008 तक की धनराशि रु 10,48,890/- संबंधितों द्वारा तीन वर्षो से अधिक समय से दावा न किए जाने के बावजूद राजस्व खाते में जमा किए जाने की कार्यवाही नहीं की गई थी।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "*समय- समय पर संबंधितों को सूचित किया जाता रहा है परन्तु उनके द्वारा धनराशियों के भुगतान का दावा न किए जाने के कारण धनराशि अवरुद्ध पड़ी हुई है, शीघ्र कार्यवाही की जाएगी*" उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि 10 से 20 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी धनराशिया रु 10,48,890/- अदावाकृत अवस्था में आपके प्रखण्ड में माह 10/2018 तक अवरुद्ध पायी गई।

अतः धनराशि रु 10.49 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- बिना किसी स्वीकृति के रु. 26.36 लाख का व्यायाधिक्य

सामान्यतः किसी भी निर्माण कार्यों को कराये जाने से पूर्व उसका आगणन बनाया जाता है जिसमे कार्यों स्थल की आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त की जाने वाली मदों एवं उनकी मात्रा को दर्शाया जाता है उपरोक्त तथ्यों से संतुष्ट होने के पश्चात ही उच्चाधिकारी द्वारा उसको स्वीकृत किया जाता है । अतः कार्यों की मदों एवं मात्रा मे किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने पर सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है । कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि-

(1) जनपद उत्तरकाशी के अंतर्गत विकासखंड चिनयालीसौड़ मे धरासूबैंड -ब्रह्मखाल के किमी 05 मे फेदी से कौड़ा तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था। प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 5.00 किमी थी । कार्यों को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग ,ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्यों किए जाने थे। इस कार्यों हेतु रु 515.65 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमे से प्रथम चरण के कार्यों हेतु अधिशासी अभियंता, उत्तरकाशी द्वारा रु. 348.24 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के 8 अनुबंधों तथा अधीक्षण अभियंता स्तर के 01 अनुबंध का गठन किया गया था लेखा परीक्षा मे पाया गया कि उक्त कार्यों के अंतर्गत निम्नवत कार्यों अनुबंधित मात्रा से काफी अधिक मात्रा में किए गए। इस प्रकार अधिक मात्रा मे किए गए कार्यों को कराये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी एवं कार्यों के उपरांत व्यायाधिक्य की स्वीकृति के लिए विचलन प्रपत्र तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराया जाना चाहिए था परंतु इस प्रकरण मे कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी । इस प्रकार इस अधिक मात्रा हेतु रु. 18,33,058/- का अधिक व्यय किया गया था जो किसी भी स्वीकृति के अभाव मे पूर्णतः अनुचित था । विवरण निम्नवत है -

अनुबंध संख्या	मद का नाम	अनुबंधित मात्रा	निष्पादित मात्रा	अंतर	मद का मूल्य	व्यायाधिक्य धनराशि
15/EE	RR Stone masonry laid in 1:6	12.00Cum	204.94Cum	192.94	3082.90	594815
	HP Stone Filling	71.10Cum	83.04Cum	11.94	692.20	8265
24/EE	RR Stone masonry laid in 1:6	191.41Cum	342.99Cum	151.58	3082.90	467306
	S&F MS bar	1.92	8.09	6.17	5794.88	35754

	M25 RCC in slab	4.88Cum	9.50Cum	4.62	8929.90	41256
35/EE	RR Stone masonry laid in 1:6	177.78Cum	206.96Cum	29.18	3082.90	89959
21/EE	RR Stone masonry laid in 1:6	135.49Cum	165.60Cum	30.11	3082.90	92826
8/SE	RR Stone masonry laid in 1:6	168.42Cum	303.26Cum	134.84	3082.90	415698
	RR Stone masonry laid dry	224.70Cum	269.22Cum	44.52	1958.20	87179
Total						**18,33,058**

(2) शासनादेश संख्या: 45/XII-2/2015/02(04)/2015 दिनाँक 17 मार्च 2015 द्वारा उत्तरकाशी लम्बगाँव मोटर मार्ग किमी. 37 दिखोली से चौंदीयाट गाँव होते हुये तामेस्श्वर मन्दिर तक मोटर मार्ग (ल.-2.325 किमी.) के निर्माण हेतु प्राक्कलन लागत रु225.93 लाख के सापेक्ष रु194.22 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रगति रिपोर्ट माह अक्टूबर 2018 के अनुसार इस कार्यालय को कुल रु 185.38 लाख अवमुक्त किए जा चुके हैं जिसके सापेक्ष लेखापरीक्षा तिथि तक कुल व्यय रु118.77 लाख किया गया है। लेखा परीक्षा मे पाया गया कि उक्त कार्यों के अंतर्गत निम्नवत कार्यों अनुबंधित मात्रा से काफी अधिक मात्रा में किए गए । इस प्रकार अधिक मात्रा मे किए गए कार्यों को कराये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी एवं कार्यों के उपरांत व्यायाधिक्य की स्वीकृति के लिए विचलन प्रपत्र तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराया जाना चाहिए था परंतु इस प्रकरण मे कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी । इस प्रकार इस अधिक मात्रा हेतु रु. 802540/- का अधिक व्यय किया गया था जो किसी भी स्वीकृति के अभाव मे पूर्णतः अनुचित था । विवरण निम्नवत है -

Agreement No.	Item of work	Bond Qty.	Executed Qty.	Excess Qty.	Rate	Amount
18/EE/15-16	construction of retaining walls/ breast walls in cement mortar 1:5	26.40	163.72	137.32 (520.15%)	3094.90	424992
	Random rubble masonary laid Dry in breast/retaining wall	675.96	920.28	244.32 (36.14%)	1545.30	377548
योग						**8,02,540**

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि कार्यों स्थल की आवश्यकता के अनुसार उक्त मदों का कार्यों संपादित कराया गया। संबन्धित ठेकेदारों को उनके अंतिम भुगतान से पूर्व सक्षम स्तर से विचलन स्वीकृत करा लिया जाएगा तथा कार्यों स्थल की आवश्यकता के अनुसार सुरक्षात्मक कार्यों कराये जाने से उक्त मदों की मात्रा मे वृद्धि हुई जिसका विचलन स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित है । इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है । अतः उच्चाधिकारिओ की बिना किसी पूर्व स्वीकृति के तथा बिना कोई विचलन प्रपत्र स्वीकृत कराये उपरोक्त दोनों कार्यों पर रु.26.36लाख(18.33 लाख+8.03लाख) का व्यायाधिक्य किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तरसंख्या
Ss/ AIR-121/ 2004-05	1, 2, 3	1,2,3
Ss/ AIR- 43/ 2008-09	1,2,3,4,5	nil
Ss/ AIR-55/ 2011-12	1	1
Ss/ AIR-21/ 2014-15	1	1,2,3,4
Ss/ AIR-87/ 2016-17	1	1,2,3
Ss/ AIR-145/ 2017-18	nil	1, 2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
Ss/ AIR-121/ 2004-05	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1,2,3 भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2,3	लंबित ऑडिट प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों के अनुमोदन पश्चात लेखापरीक्षा को प्रेषित कर दी जायेगी।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--
Ss/ AIR- 43/ 2008-09	भाग-2'अ'प्रस्तर सं-1,2,3,4,5 भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- nil	तदैव	तदैव	--
Ss/ AIR-55/ 2011-12	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1 भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1	तदैव	तदैव	--
Ss/ AIR-21/ 2014-15	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2,3,4	तदैव	तदैव	---
Ss/ AIR-87/ 2016-17	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1 भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2	तदैव	तदैव	भाग- 2'ब' प्रस्तर सं-03 को निरस्त करते हुये अद्यतन किया जाता है।
Ss/ AIR-145/ 2017-18	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2	तदैव	तदैव	---

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

…………………………… शून्य ………………………………

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- उत्तरकाशी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
इं. विभु विश्वमित्र रावत	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248001" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.